www.rojgarsamachar.gov.in
www.employmentnews.gov.in

सत्यमेव जयते

अंग्रेजी एवं उर्दू में भी प्रकाशित
वार्षिक शुल्क : ₹ 350

रोज़गार समाचार

साप्ताहिक

खण्ड 38 अंक 48 पृष्ठ 64 | नई दिल्ली 1-7 मार्च 2014 | ₹ 8.00

भारत में जीवनशैली से जुड़े रोग : तथ्य, खतरा और उपचार

डॉ. जॉमन मैथ्यू

जीवनशैली संबंधी रोग, एक व्यक्ति या लोगों का समूह जिस तरह अपनी रोज़ाना जिंदगी जीते हैं, उससे जुड़ा है. दूसरे शब्दों में जीवनशैली से जुड़े रोग वे होते हैं जो मुख्य रूप से लोगों की रोज़ाना आदतों पर आधारित होते हैं तथा अपने माहौल में बेमेल चीज़ों को सम्मिलित करने का नतीजा होते हैं. इन्हें लंबे अर्से तक रहने वाले रोग या सभ्यता की अदला-बदली संबंधी रोग भी कहा जाता है. जैसे-जैसे देशों में औद्योगिकरण बढ़ता है और लोग ज्यादा उम्र तक जीते हैं वैसे-वैसे ये रोग और बढ़ता है. इन रोगों में उच्च रक्तचाप (हायपरटेंशन), हृदय संबंधी रोग, स्ट्रोक (आघात), मधुमेह, मोटापा, धूम्रपान और शराब तथा मादक पदार्थों के सेवन से जुड़े रोग, कैंसर, आदि शामिल हैं.

जीवनशैली से जुड़े रोगों के कई कारण हैं. ये रोग हमारे द्वारा अपनाई गई जीवनशैली का परिणाम हैं. इसके सामान्य कारणों में खाने-पीने में सही चीज़ें नहीं लेना, समुचित व्यायाम की कमी, गलत जीवनशैली, काम का दबाव, तनाव आदि शामिल है. खासकर, वर्तमान में जीवनशैली से जुड़े रोग मुख्य रूप से व्यावसायिक स्थितियों से जुड़े हैं. हाल के दशकों में भारत में व्यावसायिक पैटर्न में काफी परिवर्तन हुआ है, जिसमें आईटी संबंधी सेवाओं को प्राथमिकता दी गई है. इसके अतिरिक्त, जीवनशैली संबंधी विभिन्न रोग, लोगों की खाने-पीने की आदतों में आए बड़े बदलाव का भी नतीजा है.

जीवनशैली से जुड़े रोगों की बढ़ती संख्या

भारत में जीवनशैली संबंधी परेशानियों के स्तर को पहचानने के लिए विभिन्न संगठनों ने कई अध्ययन किए हैं. भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल (एसोचेम) के सर्वेक्षण के अनुसार 21-52 वर्ष की उम्र की 68 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं मोटापा, अवसाद, पीठ दर्द की शिकायत, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी जीवनशैली संबंधी बीमारियों से ग्रस्त हैं. प्रिवेंटिव हेल्थकेयर एण्ड कॉरपोरेट फीमेल वर्कफोर्स के अध्ययन के अनुसार निर्धारित तिथि तक काम सौंपने की कड़ी चुनौती के बीच घंटों काम करने की वजह से 75 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं, काम में कम मानसिक बोझ झेल रही महिलाओं की तुलना में अवसाद या दुश्चिंता विकार की शिकार हैं. मीडिया, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग तथा पर्यटन जैसे क्षेत्र जहां काम में ज्यादा समय देने की दरकार रहती है, वहां नौकरियां कर रही महिलाएं अस्वस्थ रहने पर छुट्टी लेने में असमर्थ होती हैं. परिणामस्वरूप भारत में 10 प्रतिशत वयस्क उच्च रक्तचाप का शिकार हैं और 25-30 मिलियन लोगों को मधुमेह है. प्रत्येक 1000 लोगों में से तीन स्ट्रोक का शिकार हैं.

एसोचेम द्वारा 2013 में 'विश्व स्वास्थ्य दिवस' के अवसर पर किए गए एक सर्वेक्षण में भारत में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के कामगारों के बीच जीवनशैली संबंधी रोगों के स्तर का तुलनात्मक अध्ययन किया. रिपोर्ट के अनुसार निजी क्षेत्रों में काम में ज़्यादा समय देने, काम का अधिक दबाव तथा कार्य-निष्पादन के अनुसार ही तरक्की मिलने की वजह से निजी क्षेत्र के करीब 85 प्रतिशत कामगार जीवनशैली संबंधी और जीर्ण रोगों तथा अत्यधिक पीड़ा से ग्रस्त हैं जबकि सरकारी कर्मचारियों में इसका स्तर 8 प्रतिशत से कम है. सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि निजी क्षेत्र में 42 प्रतिशत जीवनशैली से जुड़े रोग, 38 प्रतिशत जीर्ण रोग और शेष 15 प्रतिशत अत्यधिक पीड़ा के शिकार हैं. निजी कंपनियों के कर्मचारियों में सही से नींद नहीं आने की बीमारी काफी तेज़ी से बढ़ रही है. काम में ज्यादा समय देने की मांग और अधिक दबाव के कारण निजी कंपनियों के करीब 78 प्रतिशत कर्मचारी दिन में 6 घंटे से भी कम की नींद लेते हैं जिसके कारण स्लीपिंग डिसॉर्डर (सामान्य रूप से नींद नहीं आना) का शिकार हैं.

आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) क्षेत्र जीडीपी में योगदान करके और रोज़गार सृजन की क्षमता से भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है. इसके बढ़ते महत्व के कारण भारत के अधिकतर युवा इस क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं. हालांकि एसोचेम के अध्ययन के निष्कर्ष के अनुसार भारत के आईटी और आईटीईएस क्षेत्र में काम कर रहे लगभग 55 प्रतिशत युवा कामगार काम के अधिक बोझ, खाने-पीने की गलत आदतें, तय समय में काम सौंपने की चुनौती जैसे कारणों से जीवनशैली संबंधी रोगों के शिकार हैं. 24 घंटे काम होने और खाने के अनियमित समय के कारण वे फास्टफूड की दुकानों से खाना मंगवाते हैं, ऑफिस के बाहर सड़कों पर रेहड़ी वालों से नूडल्ज़, बर्गर, पिज्ज़ा जैसे उच्च कैलोरी वाला भोजन खरीदते हैं.

जीवनशैली संबंधी रोगों के आर्थिक प्रभाव

यह अनुमान है कि 1990 और 2020 के बीच वैश्विक रूप में असंचारी रोगों से मरने वालों की संख्या में 77 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होगी तथा इनमें से अधिकांश मौतें भारत समेत विश्व के विकासशील देशों में होंगी. यह

(शेष पृष्ठ 63 पर)

रोज़गार सारांश

संघ लोक सेवा आयोग

● संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित भू-वैज्ञानिक एवं भू-विज्ञानी परीक्षा, 2014 की अधिसूचना जारी.

अंतिम तिथि: 31.03.2014

कर्मचारी चयन आयोग

● कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल, मात्रा सर्वेक्षण एवं संविदा) परीक्षा, 2014 की अधिसूचना जारी

अंतिम तिथि: 28.03.2014

लो.से.आ., उ.प्र.

● लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को 1280 प्रवक्ताओं की आवश्यकता

अंतिम तिथि: 11.03.2014

भा.ति.सी.पु.ब.

● भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल को विभिन्न विधाओं में 260 सहा. उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल्स और कांस्टेबल्स की आवश्यकता

अंतिम तिथि: 31.03.2014

बैंक

● असम ग्रामीण विकास बैंक को 215 अधिकारी स्केल-II, अधिकारी स्केल-I और कार्यालय सहायक की आवश्यकता

अंतिम तिथि: 10.03.2014

कोचिन शिपयार्ड लि.

● कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को 228 लेखाकार, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, वेल्डर सह फिटर, फिटर, पेंटर आदि की आवश्यकता

अंतिम तिथि: 10.03.2014

वेब विशेष

www.rojgarsamachar.gov.in पर वेब विशेष खण्ड के तहत निम्नलिखित आलेख उपलब्ध है:-

1. अंतरिम केंद्रीय बजट 2014-2015

परिवहन क्षेत्र में रोज़गार

जीतु शर्मा

परिवहन अथवा ढुलाई एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्तियों, पशुओं और वस्तुओं के लाने ले जाने से संबंधित होता है. परिवहन के साधनों में सड़क, रेल, वायु, जल, केबल, पाइपलाइन और अंतरिक्ष शामिल होता है. इस क्षेत्र को बुनियादी ढांचे, परिवहन और प्रचालन क्षेत्रों में बांटा जा सकता है. परिवहन क्षेत्र विकास और लोगों के कल्याण पर प्रभाव डालने वाला अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक होता है. जब परिवहन व्यवस्थाएं दक्ष होती हैं, तो उनसे आर्थिक और सामाजिक अवसर तथा लाभ उपलब्ध होते हैं जिसके परिणामस्वरूप बाज़ारों तक बेहतर पहुंच, रोज़गार और अतिरिक्त निवेश जैसे कई गुणा सकारात्मक प्रभाव होते हैं. 1990 के दशक के आरंभ से भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ते विकास ने परिवहन के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के लिए मांग में वृद्धि को दर्शाया है. रोज़गार परिदृश्य के मामले में, परिवहन क्षेत्र ने सुधार उपरांत अवधि में रोज़गार वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान किया है. हाल के वर्षों में भारत सरकार ने परिवहन क्षेत्र के विकास पर विशेष ज़ोर दिया है और इस संबंध में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है. अतः इस क्षेत्र में भविष्य में उत्पादक रोज़गार सृजन के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं.

रोज़गार संभावनाएं

परिवहन क्षेत्र में रोज़गार के विविध अवसर हैं. उपयुक्त योग्यता रखने वाले लोग निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में परिवहन योजनाकारों, डिज़ाइनरों और प्रचालन विशेषज्ञों के तौर पर रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं. सरकारी क्षेत्र में कोई व्यक्ति भारतीय रेलवे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भा.रा.रा.प्रा.), नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), पोर्ट ट्रस्ट, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां (सा.क्षे.उ.) जैसे कि राइट्स आदि में रोज़गार प्राप्त कर सकता है. निजी कंपनियों, जो कि परिवहन क्षेत्र में कार्यरत हैं, भी परिवहन विशेषज्ञों के लिए रोज़गार विकल्प प्रदान करती हैं. परिवहन विशेषज्ञ सड़कों, राजमार्गों रेल मार्गों, हवाई अड्डों और नौवहन बंदरगाहों आदि की योजनाएं, डिज़ाइन इस तरह से तैयार और प्रचालन करते हैं ताकि लोगों और वस्तुओं का एक जगह से दूसरी जगह तक सुरक्षित और दक्षतापूर्ण परिवहन हो सके. अतः परिवहन से जुड़े राज़गारों का मुख्यः रूप से तीन वर्गों में वर्गीकरण किया जा सकता है:

परिवहन योजनाकार: अन्वेषण कार्य और नये विकासों तथा प्रस्तावित राजमार्ग परियोजनाओं से वायु और ध्वनि प्रदूषण, आर्द्रभूमि पर पड़ने वाले प्रभावों तथा सामाजिक-आर्थिक प्रभावों सहित अन्य पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना. परिवहन योजनाकार सरकारी अधिकारियों, शहरी योजनाकारों और आस पड़ोस में परियोजना से प्रभावित होने वाले समुदाय के साथ कार्य करते हैं.

परिवहन डिज़ाइनर: हवाई अड्डों, शॉपिंग केंद्रों, मनोरंजन केंद्रों, औद्योगिक, कार्यालय और आवासीय विकास कार्यों के साथ-साथ पैदल यात्री प्रणालियों के लिए विभिन्न परिवहन सुविधाओं का डिज़ाइन करते हैं. वे यातायात के सुगम प्रवाह को बनाए रखने के लिए यातायात सिग्नल्स भी डिज़ाइन करते हैं.

परिवहन प्रचालन: यातायात नियंत्रण, चिह्नों और मार्ग चिह्नों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण करते हैं. साधारण सड़कों और निर्माण कार्य क्षेत्रों, घुमावदार मार्गों तथा विशेष क्षेत्रों में सुरक्षित आवागमन के लिए यातायात नियंत्रण अनिवार्य होता है.

इन तीन व्यापक श्रेणियों का निम्नानुसार वर्गीकरण किया जा सकता है:

सड़क परिवहन प्रबंधक:

सड़क परिवहन प्रबंधक वाहनों के दक्ष और सुरक्षित संचालन तथा यात्रियों और/अथवा वस्तुओं को सड़क से लाने-ले जाने वाले वाहनों के सुरक्षित संचालन की सभी ज़िम्मेदारियों का निवर्हन करते हैं.

सड़क परिवहन लिपिक: सड़क परिवहन लिपिक बस, कोच अथवा सड़क परिवहन कंपनियों के लिये विभिन्न किस्मों के प्रशासनिक कार्य संचालित करते हैं. इनके कार्यों में ग्राहकों की पूछताछ, लेखा-जोखा रखने, वाहनों का संचालन और सुपुर्दगी, आर्डर्स की प्रोसेसिंग और स्टाफ रोड का प्रबंधन आदि शामिल होता है. उन्हें एक सड़क परिवहन प्रबंधक के निर्देशन में कार्य संचालित करने होते हैं. उनका कार्य मुख्यतः वस्तुओं और यात्रियों के सड़क से परिवहन से जुड़े प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों से संबंधित होता है और इसमें कम्प्यूटर प्रणालियों का प्रयोग शामिल होता है.

यातायात प्रबंधक: यातायात प्रबंधक बढ़िया मूल्य और बेहतर सेवा पर आधारित परिवहन के साधन और मार्ग का निर्धारण करता है.

लोकोमोटिव इंजीनियर्स: लोकोमोटिव इंजीनियर्स स्टेशनों के बीच चलने वाली यात्री और मालगाड़ियों का प्रचालन करते हैं. इंजीनियर्स अपने लोकोमोटिव्स की यांत्रिक स्थिति की जांच तथा आवश्यक छोटे-मोटे संयोजन और प्रलेखन से जुड़े कार्य करते हैं.

रेल मार्ग संचालक: रेलमार्ग संचालक माल या यात्री गाड़ी के कर्मचारियों की सभी गतिविधियों का समन्वय करते हैं. मालगाड़ियों से संबद्ध संचालकों को अपने सामान से संबंधित लोडिंग और अनलोडिंग की सूचना प्राप्त करने के लिए अनुसूचियों, स्विचिंग आर्डर्स, वेबिल्स और शिपिंग रिकार्ड्स सौंपे जाते हैं.

उपमार्ग संचालक: उपमार्ग संचालक शहरों और उप नगरों के जरिए यात्रियों का परिवहन करने वाली ट्रेनों को नियंत्रित करते हैं. ट्रेनें भूमिगत सुरंगों, भूतल पर

(शेष पृष्ठ 64 पर)

दिल्ली पोस्टल पंजीकरण संख्या डीएल.एसडब्ल्यू 1/4100/2012.14 यू. (सी.).107/2012.14 पूर्व शुल्क के बिना डाक में डालने की अनुमति आर.एन.आई. 28729/76 एन.डी.पी.एस.ओ. नई दिल्ली 1/3.03.2014 (₹ 8) प्रकाशन तिथि : 27.02.2014

परिवहन क्षेत्र में...

(पृष्ठ 1 का शेष)

अथवा एलिवेटिड ट्रैकों पर चलती हैं. आपरेटर्स को पटरी के साथ लगे सिग्नलों को चौकसी के साथ देखना चाहिए जो ट्रेन के संचालन, धीमे अथवा रोकने के प्रति सिग्नल इंगित करते हैं.

वाणिज्यिक प्रभाग: वाणिज्यिक प्रभाग टिकट जांच, खानपान व्यवस्था, स्टेशनों के प्रशासनिक और प्रबंध कार्य, आरक्षण और प्लेटफार्मों पर घोषणाओं आदि से संबंधित सभी वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित करते हैं.

रेलवे इंजीनियर्स: रेलवे इंजीनियर्स रेलवे पटरियों और पुलों के निर्माण और योजना जैसी तकनीकी गतिविधियों में संलग्न रहते हैं.

सीमाशुल्क विभाग अधिकारी:
सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों पर उन वस्तुओं की जांच की ज़िम्मेदारी होती है जिन पर शुल्क लगता है.

आव्रजन विभाग: आव्रजन विभाग पर बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर पहुंचने वाले व्यक्तियों के प्रवेश के अधिकार की जांच का दायित्व होता है. अधिकारी जहां कहीं आवश्यक होता है, दस्तावेजों की भी जांच करते हैं और अवैध प्रवेश करने वालों को हटा देते हैं.

विमानन क्षेत्र, में पायलट, एयर होस्टेस, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स, एयरलाइन टिकटिंग आदि जैसे कार्य भी शामिल होते हैं।

मर्चेंट नेवी समुद्र से सामान और कभी कभार यात्रियों के परिवहन से संबद्ध है. मर्चेंट नेवी में उपलब्ध प्रमुख स्थानों में नेविगेटिंग अधिकारी, रेडियो अधिकारी और समुद्री इंजीनियर शामिल हैं. मर्चेंट नेवी में सामान्यतः महिलाएं रोज़गार से दूर रहती थीं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सकारात्मक बदलाव आया है और बहुत सी महिलाएं शिप डॉक्टर्स और रेडियो अधिकारियों से संबंधित रोज़गारों से जुड़ने लगी हैं.

शैक्षणिक अर्हता

परिवहन एक विशेषीकृत क्षेत्र है और इसमें तकनीकी कौशलों की आवश्यकता होती है. भारत में, कुछ संस्थान/विश्वविद्यालय परिवहन से संबंधित डिप्लोमा पाठ्यक्रम, स्नातक पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और शोध कार्यक्रम संचालित करते हैं. पाठ्यक्रमों के प्रमुख क्षेत्र यातायात और परिवहन इंजीनियरिंग, परिवहन योजना, शहरी नियोजन, परिवहन प्रबंध, परिवहन अर्थव्यवस्था, संभारतंत्र प्रबंध आदि हैं.

पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थान

भारत में बहुत से संस्थान/विश्वविद्यालय परिवहन से संबंधित पाठ्यक्रम संचालित करते हैं. इस क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने वाले प्रमुख संस्थान/विश्वविद्यालय हैं:

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)
(एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बी.टैक, परिवहन प्रणाली इंजीनियरिंग में एम.टैक/पीएच.डी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) (परिवहन इंजीनियरिंग में एम.टेक/पीएच.डी)

योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली (बैचलर, परिवहन नियोजन, शहरी नियोजन, क्षेत्रीय नियोजन, आवास और पर्यावरणीय नियोजन में विशेषज्ञता के साथ योजना में बैचलर, योजना में मास्टर्स)

अन्ना विश्वविद्यालय, (एम.ई परिवहन इंजीनियरिंग और शहरी इंजीनियरिंग),

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, अहमदाबाद (परिवहन एवं ऑटोमोबाइल डिज़ाइन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम)

भारतीय प्रबंध विद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र (आईएमएसआर), नवी मुंबई (परिवहन प्रबंधन में एमबीए)

इंस्टीट्यूट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट, नई दिल्ली (रेल परिवहन और प्रबंध, परिवहन अर्थशास्त्र एवं प्रबंध और मल्टी माडल ट्रांसपोर्ट (कन्टेनराइज़ेशन) एवं संभारतंत्र प्रबंध में डिप्लोमा पाठ्यक्रम)

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (नेवल ऑर्किटेक्चर और ओशियन इंजीनियरिंग में बी.टैक, नेवल ऑर्किटेक्चर और ओशियन इंजीनियरिंग में एम.टेक, समुद्री इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (1 वर्ष)

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक्स, चेन्नै (बीबीएम (बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट). लॉजिस्टिक्स एवं नौवहन और लॉजिस्टिक्स एवं बंदरगाह प्रचालन में डिप्लोमा/स्नातकोत्तर/उन्नत डिप्लोमा और एमबीए). (यह एक सांकेतिक सूची है)

(लेखक रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनोमिक सर्विसेज़ (राइट्स), गुड़गांव में अर्थशास्त्री हैं. ई मेलः jitus4@gmail.com)

व्यावसायिक अध्ययन हेतु ऋण

- रु. 2.0 लाख तक का रियायती ऋण
- ब्याज दर 6 % वार्षिक
- ऑटो केड, वेब डिजाइन, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर पाठ्यक्रम, कार्यालय प्रबंधन तथा सचिवीय पाठ्यक्रम, 3डी/2डी एनीमेशन तथा ग्राफिक डिजाइन, ऑटोमोबाइल डिप्लोमा इत्यादि
- वेबसाइट **www.nhfdc.nic.in** पर ऑनलाइन आवेदन करें

नि:शक्तजनों का सशक्तिकरण

नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनेन्स एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन
(नि:शक्तता कार्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)
रेड क्रॉस भवन, सैक्टर-12, फरीदाबाद-121007
दूरभाष : 0129-2287512, 0129-2287513, फैक्स : 0129-2284371
ई-मेल : nhfdc97@gmail.com, वेबसाइट : www.nhfdc.nic.in रो.स. 48/4

फार्म-IV
(नियम देखें)

1.	प्रकाशन का स्थान :	दिल्ली
2.	आवर्तन :	साप्ताहिक
3.	मुद्रक का नाम :	दि अमर उजाला प्रकाशन लिमिटेड
	क्या भारत के नागरिक हैं? :	हां
	(यदि विदेशी हैं, तो मूल देश के नाम का उल्लेख करें)	
	पता :	दि अमर उजाला प्रकाशन लिमिटेड सी 21 एवं 22, सेक्टर-59 नोएडा-201301
4.	प्रकाशक का नाम :	सुश्री ईरा जोशी
	क्या भारत की नागरिक हैं :	हां
	पता :	अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पूर्वी खंड-IV, लेवल-V आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066
5.	संपादक का नाम :	डॉ. ममता रानी
	क्या भारत की नागरिक हैं? :	हां
	(यदि विदेशी हैं तो मूल देश का नाम बताएं)	
	पता :	संपादक, रोज़गार समाचार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पूर्वी खंड-IV, लेवल-V आर.के. पुरम,0 नई दिल्ली - 110066
6.	उन व्यक्तियों के नाम और पते, जो समाचार पत्र के स्वामी अथवा साझेदार अथवा कुल पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक शेयरधारक हैं:	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन

मैं, ईरा जोशी, एतद्द्वारा घोषणा करती हूं कि ऊपर दिया गया विवरण मेरी अच्छी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है.

हस्ता/-
(ईरा जोशी)
प्रकाशक

सूचना

रोज़गार समाचार में छपे लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जरूरी नहीं है कि वही विचार सरकार के या जिन संगठनों के लिए लेखक कार्य करते हैं, उनके हों. रोज़गार समाचार में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु संगठन या उनके प्रतिनिधियों की है. रोज़गार समाचार इन विज्ञापनों की विषयवस्तु/ पाठ के कारण उत्पन्न होने वाले किसी विवाद के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं है.

न्यूज़ डाइजेस्ट

■ *आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया. इसमें आंध्र प्रदेश को तेलंगाना और सीमांध्र में विभाजित करने का प्रावधान है. विधेयक भारत के 29वें राज्य तेलंगाना के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा. इसके बाद इसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा. आंध्र प्रदेश के राज्यपाल दोनों राज्यों के प्रभारी होंगे. केंद्र सीमांध्र के लिए नई राजधानी के विकल्पों का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगा. आईएएस, आईपीएस, वन सेवा और आंध्र प्रदेश राज्य सेवा संवर्गों को विभाजित करके दो राज्यों को सौंपा जाएगा. 10 वर्ष तक हैदराबाद संयुक्त राजधानी रहेगा. दोनों राज्यों का राज्यपाल साझा होगा. हैदराबाद में कानून व्यवस्था राज्यपाल के अधीन होगी. सीमांध्र और तेलंगाना विधानसभाओं के लिए चुनाव 2014 की ग्रीष्म ऋतु में लोकसभा चुनाव के साथ कराए जाएंगे. पृथक हाईकोर्ट के गठन तक हैदराबाद उच्च न्यायालय दोनों राज्यों के लिए साझा होगा. सभी सरकारी या निजी उच्चतर शिक्षा संस्थानों, तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में मौजूदा दाखिला कोटा अगले 10 वर्ष तक जारी रहेगा. आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 42 सीटों में से 17 तेलंगाना और 25 सीमांध्र के लिए होंगी. 294 विधानसभा सीटों में से 119 तेलंगाना और 175 सीमांध्र के लिए निर्धारित की गई हैं.*

■ *केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ की एक शाखा संगरूर, पंजाब में खोलने के निर्णय पर अमल करने का अनुमोदन कर दिया है. यह निर्णय 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जारी ''अस्पतालों और संस्थानों का पुनर्विकास कार्यक्रम'' के तहत अमल में लाया जाएगा. अस्पताल के निर्माण में 449 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिसमें से प्रथम 4 वर्षों में 161 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इस परियोजना का उद्देश्य रोगी देखभाल सेवाओं का विस्तार करना और उनमें सुधार लाना है. इसके लिए अत्याधुनिक तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल ढांचे का निर्माण किया जाएगा और विशेषज्ञतापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवा तक क्षेत्र के लोगों की पहुंच कायम की जाएगी. अस्पताल बिस्तरों की संख्या बढ़ने से समाज के अलग-थलग पड़े वर्गों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं मिल सकेंगी और साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक पूरे करने में भी मदद मिलेगी.*

■ *केंद्रीय मंत्रिमंडल ने करीब 7,200 किलोमीटर राज्य सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है. राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार एक सतत् प्रक्रिया है और नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा समय-समय पर की जाती है, जो संचार की आवश्यकताओं के अलावा प्राथमिकता एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर करती है.*

■ *पथ विक्रेता विधेयक राज्यसभा ने पारित कर दिया. विधेयक में आजीविका के अधिकार, पथ विक्रेताओं की सामाजिक सुरक्षा और शहरी स्ट्रीट वेंडिंग के नियमन की व्यवस्था है. इसमें प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण में एक नगर विक्रय प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान है जो कानून के प्रावधानों को लागू करेगा, सभी मौजूदा पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण करेगा और हर पांच वर्ष बाद परवर्ती सर्वेक्षणों को अंजाम देते हुए, उनके दौरान पहचान किए गए सभी पथ विक्रेताओं को प्रमाणपत्र जारी करेगा.*

■ *केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में नैनो साइंस और टेक्नोलोजी मिशन (नैनो मिशन) का दूसरा चरण जारी रखने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है. इस पर कुल 650 करोड़ रुपये की लागत आएगी. नैनो प्रौद्योगिकी ज्ञान के घनत्व और ''प्रौद्योगिकी सक्षमता'' पर आधारित है. उम्मीद की जा रही है कि इसका प्रभाव उत्पाद एवं प्रक्रियाओं की व्यापक रेंज पर पड़ेगा और साथ ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एवं विकास के लिए इसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे.*

■ *आर्थिक मामलों से सम्बद्ध कैबिनेट समिति ने राष्ट्रीय हरित भारत मिशन यानी नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया (जीआईएम) के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में चलाए जाने वाले इस मिशन के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल 13,000 करोड़ रुपये के खर्च में से 2,000 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है. कार्यक्रम के लिए धन के स्रोत योजना परिव्यय और एमजीएनआरईजीए गतिविधियों, सीएएमपीए और एनएपी जैसे कार्यक्रमों के साथ समाभिरूपता से जुटाए जाएंगे.*

प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के लिए **ईरा जोशी,** अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित और प्रिंटिंग प्रेस अमर उजाला पब्लिकेशन लिमिटेड, सी.21 व 22, सेक्टर.59, नोएडा.201301 में मुद्रित, रोज़गार समाचार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) ईस्ट ब्लाक.IV, लेवल.5, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली.110066 द्वारा प्रकाशित, संपादकः डॉ. ममता रानी